भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **485**
दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर खनन का प्रभाव

485. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के उदयपुर जिले में खनन कार्यों के दौरान सरकारी मानदंडों का पालन करने में मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की विफलता के कारण स्थानीय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या खनन कार्यों के कारण स्थानीय निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार द्वारा खनन कार्यों में लगी कंपनियों के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): भारत सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 अधिनियमित किए हैं, जिसके अंतर्गत पट्टा धारक को सतत रूप से खनन कार्यों का प्रचालन करने की स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी दी गई है, जिससे स्थानीय वनस्पतियों और जीवों सहित पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के अधीन-जिसमें पट्टा धारकों के "अधिकारों और दायित्वों" की रूपरेखा दी गई है-यह अधिदेशित किया गया है कि पट्टा धारक अपने व्यय पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय करेंगे। इनमें वनीकरण, खनन भूमि सुधार,

प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और समय-समय पर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य उपाय शामिल हैं। तदनुसार, इन आवश्यकताओं को पट्टा विलेख में बाध्यकारी शर्तों के रूप में भी शामिल किया गया है।

नामित प्राधिकारियों द्वारा मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचज़ेडएल) की इकाइयों का भी नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और राजस्थान के उदयपुर जिले में एचज़ेडएल द्वारा किए जा रहे खनन कार्यों के कारण इसके प्रचालन क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय पर्यावरण पर आज तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ): खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम में वर्ष 2015 में संशोधन के माध्यम से, भारत सरकार ने खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना का प्रावधान किया है। अब तक, देश के 23 राज्यों के 646 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) स्थापित किए जा चुके हैं।

डीएमएफ के तहत एकत्रित निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन की रूपरेखा प्रदान करती है। पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत, दिनांक 31.05.2025 तक स्वास्थ्य संबंधी 22592 परियोजनाओं हेतु 9237.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(ङ) और (च): राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी) 2019 सतत और पारदर्शी खनन कार्यपद्धतियों पर केंद्रित है और पर्यावरण अनुकूल खनन पर बल देती है। राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी) 2019 का उद्देश्य खनन क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचे का पुनर्गठन करना और सतत कार्यपद्धतियों को बढ़ावा देना है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) भारत में खानों और खनिजों के विकास और विनियमन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। एनएमपी 2019 और एमएमडीआर अधिनियम एक उत्तरदायी और कुशल खनिज संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं।

*****